05.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं. जुम्मा पयालसिंह में पेश हुई। अपीलांट मय वकील उपस्थित। उत्तरदाता सं.2 उपस्थित। अपीलांट एवं उत्तरदाता क्र.2 एवं स्वतंत्र गवाह उदयसिंह वैनाराम की पहचान वकील अपीलांट द्वारा की गई। उत्तरदाता सं.3 की ओर से कमीशन रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई। अपीलांट एवं ~~उत्तरदाता एवं~~ स्वतंत्र गवाह उदयसिंह के बयान कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। अपीलांट की अपील अन्डर [illegible] स्वीकार कर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

अं.नि. धनलीदेवी

(पहचानकर्ता)

उदयसिंह

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.भुकां वगतसिंह)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–03 / 2018

अपीलाण्ट	**बनाम** उतरदातागण
वेहनाराम पुत्र रूपाराम	1.सरपंच ग्राम पंचायत भूंका भगतसिंह
जाति मेघवाल	2.चनणीदेवी पत्नि खेताराम
निवासी भूंका भगतसिंह	जाति मेघवाल निवासी भूंका भगतसिंह
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर	तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
	3.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक–05.6.18

1.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि मुतवफी रूपाराम के दो पुत्र अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 के पति खेताराम थे। मुतवफी रूपाराम की आवगी खातेदारी भूमि ग्राम भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 483 रकबा 26–18 बीधा भूमि आई हुई थी। रूपाराम के फोत होने पर उसके वारिसान अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 02 के पति खेताराम के नाम दायर नामान्तकरण संख्या 397 में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम वेहनाराम के स्थान पर विशनाराम नाम दायर किया गया। जो आदिनांक तक रिकार्ड में चला आ रहा है। जो गलत दायर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

होने के कारण अपीलाण्टस का रिकार्ड में दर्ज नाम विशनाराम के स्थान पर वेहनाराम दायर करवानें हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। उतरदातागण को जरियें नोटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 2 स्वंय उपस्थित होकर अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपीलाण्ट की अपील के संबध में तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तलब की गई। अपीलाण्ट व स्वतंत्र गवाह उदयसिंह के बयान कलमबद्व किये गये।

3.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। और बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात,नामान्तकरण संख्या 397,बयानात एवं तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें पाया ग्राम भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 483 रकबा 26—18 बीधा भूमि आवगी खातेदारी में रूपा वल्द मगा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज थी। रूपा के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 397 के कॉलम संख्या 11 में खेता,विशना पि.रूपा दायर किया गया। और खेता के फोत पर उसकी पत्नि उतरदाता संख्या 2 का नाम दायर किया गया। जबकि तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार अपीलाण्ट का सही नाम वेहनाराम है। इस प्रकार विवादित नामान्तकरण संख्या 397 में अपीलाण्ट का गलत नाम दायर किया गया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि अपीलाण्ट एवं स्वंतत्र गवाह श्री उदयसिंह के बयानो से साबित होता है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम वेहनाराम है,वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत नाम चल रहा है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा—परिवार राशन कार्ड,एस.बी.बी.जे.शाखा भूंकाभगतसिंह द्वारा जारी बैक डायरी,एवं आधार कार्ड में अपीलाण्ट का नाम वेहनाराम अंकित है। इससे भी साबित होता है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम वेहनाराम है। विवादित भूमि की सहखातेदार उतरदाता संख्या 2 ने भी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम वेहनाराम होना स्वीकार किया। मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि अपीलाण्ट का रिकार्ड में विशनाराम गलत नाम दायर हो रखा हैं और उसका वास्तविक नाम वेहनाराम है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित होता है। कि अपीलाण्ट का रिकार्ड में गलत विशनाराम नाम दायर हो रखा है। और विशनाराम के स्थान पर सही नाम वेहनाराम दुरूस्त करवानें का अपीलाण्ट हकदार है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी जांच

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट में विशनाराम के स्थान पर वेहनाराम नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

3. लिहाजा अपीलाण्ट की अपील राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर **ग्राम भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 483 रकबा 26–18 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि विशनाराम वल्द रूपाराम के स्थान पर वेहनाराम वल्द रूपाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

आदेश आज दिनांक 5/1/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner